राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : प 1(2)(56) मअ/स्था/2015/1,02,266 जयपुर, दिनांक 24/12/18

आदेश

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (भाग प्रथम) के नियम 3 (क) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुषमा अरोडा, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, एस.एच.जी को सरकार के वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ कार्यालयध्यक्ष घोषित करती हूँ। अतिरिक्त निदेशक (एस.एच.जी), महिला अधिकारिता वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन कार्यालयध्यक्ष को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

कर्तव्य एवं दायित्व सामान्यतया सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के विभिन्न उपबंधो में निर्धारित किये गये है–

अतिरिक्त निदेशक (एस.एच.जी), महिला अधिकारिता विशेष रूप से निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगें:–

1. कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए समस्त सरकारी कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों संबंधी समस्त बिलों एवं आकस्मिक व्यय बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करना।
2. समस्त प्राप्तियों एवं इस प्रकार आहरित निधियों में से किए गए भुगतानों का लेखा रखना तथा वैद्य रसीद लेकर उचित प्राप्तकर्ता को भुगतान करना तथा भुगतान करने के प्रमाण स्वरूप उसे अनुप्रमाणित करना।
3. रोकड़ पुस्तिका तथा समस्त लेखा पंजिका तथा अभिलेख विशेष रूप से बिलों के भुनाने पर [illegible] का रजिस्टर, बिल भेजने का रजिस्टर, [illegible] अग्रिमों का रजिस्टर, आकस्मिक व्ययों का रजिस्टर, अग्रिम एवं समायोजन का रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, दुर्विनियोग आदि का रजिस्टर, चैकों, डाफ्टों, पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर आदि की प्राप्ति निपटान को दर्शित करने वाला रजिस्टर आदि एवं पोस्टल मनी आर्डर/डाफ्ट द्वारा किये गये भुगतानों का रजिस्टर रखना तथा संबंधित प्रविष्ठियों पर हस्ताक्षर करना,।
4. वित्तीय नियमों आदेशों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजनों के अनुसार आवर्तक एवं अनावर्तक आकस्मिक व्ययों को करना एवं आकस्मिक व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना।
5. सरकारी कर्मचारियों को दिए गए अस्थायी अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करना तथा निर्धारित समय के भीतर खर्च न किए गये अतिशेष (बैलेन्स) की वसूली को सुनिश्चित करना तथा उन पर इन नियमों में यथा उपबंधित कार्यवाही करना।
6. भण्डार की वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त करना तथा उचित हिसाब एवं अभिरक्षा (कस्टडी) की व्यवस्था करना।

(सुषमा अरोडा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता